VISION IAS

www.visionias.in

VISION IAS
11 NOV 2016

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 762)

Name of Candidate	ANIRUDDH KUMAR		
Medium Hindi/Eng.	HINDI	Registration Number	30622
Center	MUKHERJEE NAGAR	Date 11-11-2016	

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	12.5	
2	12.5	
3	12.5	
4	12.5	
5	12.5	
6	12.5	
7	12.5	
8	12.5	
9	12.5	
10	12.5	
11	12.5	
12	12.5	
13	12.5	
14	12.5	
15	12.5	
16	12.5	
17	12.5	
18	12.5	
19	12.5	
20	12.5	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न-पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are TWENTY questions printed in HINDI and ENGLISH.
   इसमें बीस पश्न हैं तथा हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में छपे हैं।
3. All questions are compulsory.
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर काई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

75, 3rd Floor, Old Rajinder Nagar Market, Near Axis Bank, New Delhi – 110060

103, 1st Floor, B/1-2, Ansal Building, Behind UCO Bank, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi – 110009

EVALUATION INDICATORS

1. Alignment Competence
2. Context Competence
3. Content Competence
4. Language Competence
5. Introduction Competence
6. Structure - Presentation Competence
7. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Answer all the questions in NOT MORE THAN 200 WORDS each. Content of the answers is more important than its length. All questions carry equal marks.

12.5X20=250

1. Even though the Representation of the People Act has been amended from time to time, the issues pertaining to criminalisation and influence of money power remain unresolved. Comment. Also discuss the role played by the judiciary and the Election Commission in this context.

यद्यपि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम को समय-समय पर संशोधित किया जाता रहा है, तथापि अपराधीकरण एवं धन-बल के प्रभाव से संबंधित मुद्दों का समाधान अब तक नहीं हुआ है। टिप्पणी कीजिए। इसके साथ ही इस संदर्भ में न्यायपालिका एवं चुनाव आयोग द्वारा निभायी गयी भूमिका पर चर्चा कीजिए।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था पर बल दिया गया है। इसमें संविधान में उल्लिखित art 324 - art 329 के अतिरिक्त अन्य व्यवस्थायें की गयी हैं जैसे चुनावों की फंडिंग को रेगुलेट करना, चुनावों में corrupt practices (sec 123) को रोकना आदि।

लेकिन देखा गया है कि हमारी चुनाव प्रक्रिया की कमियों का फायदा उठाकर बहुत ही low quality के कैंडिडेट संसद व विधानसभाओं के सदस्य बन रहे हैं।

उदाहरणस्वरूप ① 16वीं लोकसभा में 82% सांसद जो चुनकर आये, वे करोड़पति थे। यह दिखाता है कि धन बल का चुनाव में कितना महत्व बढ़ गया है।

इसी तरह ② 15वीं लोकसभा में जहाँ 30% MP पर अपराधिक मामले थे वहीं 16वीं लोकसभा में यह प्रतिशत 34% हो गया। खासकर गंभीर अपराधों में

दोषी सांसदों का प्रतिशत 15 वीं लोकसभा में जो 15% था वह 16 वीं लोकसभा में 21% हो गया। यह राजनीति के अपराधीकरण को दिखाता है।

अपराधीकरण व धनबल पर नियंत्रण के लिए समय-समय पर चुनाव आयोग ने कई प्रयास किये है-

① Model Code of Conduct (MCC) का लाया जाना।

② कैंडिडेटों द्वारा एफिडेविट (Afadabit) की घोषणा करना जिसमे ~~उन्हें~~ अपनी शैक्षणिक जानकारी, अपराध व अपने संपत्ति व दायित्वों की घोषणा करनी होती है।

③ NOTA (None of the Above) का विकल्प लाया गया

④ VVPAT (Voter Verified Paper Audit trail) की व्यवस्था की गई ताकि मतदाता निर्धारित कर सके की उसने जिसे वोट दिया था, वोट उसी को गया है या नही।

⑤ इसके अलावा चुनावों के समय छापेमारी के लिए कई टीमें बनाई जाती है।

⑥ चुनाव में हुये खर्चे की मॉनीटरिंग के लिए Expense Monitoring Cell बनाया गया है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी कई प्रयास किये है-

① लिली थामस Vs भारत सरकार केस में Sec 8(4) (RPA 1951 के तहत) को रद्द किया जिसमें यह प्रावधान था कि निचले कोर्ट में सजा करार देने पर भी अगर कोई संसद / विधानसभा सदस्य तीन महीने के भीतर उपरी कोर्ट में अपील कर दे तो उसकी सदस्यता बनी रहेगी।

② freebies के मामले में भी SC (सुप्रीमकोर्ट) के निर्देश पर चुनाव आयोग ने MCC में Sec 8 को जोड़ा।

इन प्रयासों के बावजूद भी अभी भी भारत में चुनाव प्रक्रिया काफी दोषपूर्ण है। अभी और सुधार की अवश्यकता है—

① चुनाव आयोग को पर्याप्त शक्तियाँ दी जाये। इसकी वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित की जाये।

② ~~चुनाव~~ राजनीतिक दलों को RTI के दायरे में लाया जाये।

③ चुनाव आयोग MCC के बारे में जागरूकता बढ़ायें व कड़ाई से इसका दुरुपयोग रोके।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. The main function of the Public Accounts Committee is to ascertain that the money granted by Parliament has been spent by the government within the scope of the demand. In this context, critically analyse the role played by the Public Accounts Committee.

लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य यह सुनिश्चित करना है कि संसद द्वारा स्वीकृत धनराशि का सरकार द्वारा व्यय स्वीकृत सीमा के अंतर्गत किया गया है। इस संदर्भ में, लोक लेखा समिति द्वारा निभायी गयी भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. Referendums are portrayed as popular governance in its purest form, however, it is also argued that they often subvert democracy rather than serve it. Examine in the light of recent developments across the globe.

जनमत-संग्रह को लोकप्रिय शासन के शुद्धतम रूप में चित्रित किया जाता है, हालांकि यह तर्क भी दिया जाता है कि वे लोकतंत्र का प्रयोजन सिद्ध करने के स्थान पर प्राय: उसको विकृत देते हैं। हाल की वैश्विक घटनाओं के आलोक में परीक्षण कीजिए।

पिछले कुछ समय में अति महत्वपूर्ण मुद्दों पर जनमत संग्रह को एक रामबाण के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। अगर इसके एक पक्ष को देखें तो यह सही भी दिखाई पड़ता है क्योंकि लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है और अगर बहुमत जनता किसी मुद्दे के पक्ष में है तो उसका वही निर्णय होना चाहिए।

परन्तु इस व्यवस्था की कुछ कमियाँ हैं-

① इसमें अल्पसंख्यकों (minority) के हितों का ध्यान नहीं रखा जाता।

② जरूरी नहीं है कि बहुमत जो निर्धारित करे वह सही ही हो।

③ कई बार जनता की जागरूकता का स्तर पर नहीं होता कि वह सही-गलत का निर्णय कर सके। खासकर भारत जैसे देश में जहाँ लगभग 30 करोड़ जनसंख्या अशिक्षित है, पढ़ना-लिखना भी नहीं जानती वहाँ अगर जनमत संग्रह की स्थिति आये तो जनता

Call us : 9650617807, 9968029039
Blog : www.visionias.wordpress.com
Visit us : www.visionias.in
Email : ajay.visionias@gmail.com

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

को आसानी से वरगलाया जा सकता है।

(5) सामान्यतः यह देखा गया है कि जनमत संग्रह में बहुत कम मार्जिन से हार या जीत होती है। उदाहरणस्वरूप 2014 में स्कॉटलैंड के ग्रेट ब्रिटेन से अलग होने के निर्णय पर पक्ष व विपक्ष के बीच वोट करने वालों में मात्र 4% (लगभग) का अन्तर था। यह दिखाता है कि पक्ष व विपक्ष दोनों ही समान रूप से मजबूत थे।

अतः ऐसी दशाओं में जनमत संग्रह की आलोचना की जाती है।

इस सन्दर्भ में कुछ अनुशंसायें भी की जाती हैं -

(1) जनमत संग्रह के निर्णय सरकार / संसद पर binding (बाध्यकारी) न हो वरन् इसे जनता के सलाह के रूप में देखा जाये।

(2) महत्वपूर्ण मुद्दों पर केवल एक बार जनमत संग्रह न हो। उदाहरणस्वरूप ब्रिटेन के EU से निकलने के मुद्दे पर पक्ष में ज्यादातर उन लोगों ने वोट किया था जिन्हें EU में ब्रिटेन के रहने या न रहने के फायदे या नुकसान बिल्कुल भी पता नहीं थे। उन्हें यह भी

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

नही पता था कि EU में कितने देश हैं व कौन - कौन देश हैं। अतः यह कहा जाता है कि अस्तित्वपूर्ण मामलों में 6 सालों में तीन बार मतदान संपन्न कराये जाने चाहिए।

4. What do you understand by special category status for states? Examine its contribution in bringing balanced regional development in the country. In light of the 14th Finance Commission recommendations, analyse whether this categorisation has outlived its relevance.

राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किये जाने से आप क्या समझते हैं? देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास लाने में इसके योगदान का परीक्षण कीजिए। 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के प्रकाश में विश्लेषण कीजिए कि क्या इस वर्गीकरण ने अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखा है?

विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा प्रदान करने की पहल 5वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर शुरू हुई थी। अभी 11 राज्यों को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा प्राप्त है जिसमें J&K, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश व उत्तर पूर्व के 8 राज्य शामिल हैं। ये ऐसे राज्य हैं जिनकी —

1. इनकी सीमायें दूसरे देशों से मिलती हैं
2. ये पहाड़ी राज्य हैं।
3. इनमें जनसंख्या घनत्व कम है।
4. इनमें संसाधन कम हैं, अतः इनकी financial viability कम है।

इन राज्यों के लिए सरकार विशेष प्रावधान करती है-

1. Central Plan Assistance — इसका लगभग 56% भाग विशेष श्रेणी राज्यों को जाता है, शेष भाग दूसरे राज्यों को
2. Special Plan Assistance — इसका पूरा भाग इन्हीं विशेष श्रेणी राज्यों को जाता है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(3) State Plan Assistance

(4) केन्द्र प्रायोजित स्कीमो (CSS) में इन राज्यों की फंडिंग 90:10 के अनुपात में होती है जबकि अन्य राज्यों को 75:25 या 50:50 के अनुपात में

(5) इन राज्यों में निवेश करने पर (निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए) Tax holiday, Tax break आदि दिये जाते है।

अतः विशेष श्रेणी दर्जे के तहत इन पिछड़े राज्यों को जो वित्तीय रूप से अक्षम है, उन्हें विशेष सहायता देकर क्षेत्रीय असमानता को कम करने का प्रयास किया जाता है।

परन्तु पिछले कुछ समय में विशेष दर्जा प्राप्त करने की मांग राज्यों द्वारा तेजी से बढ़ी है। Ex- बिहार।

इसी सन्दर्भ में 14वें वित्त आयोग ने निम्न अनुशंसायें की

(1) कर में राज्यों का हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया है ताकि राज्य स्वयं अपने अनुसार विकास की योजनायें बनाकर क्रियान्वित कर सके।

(2) केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) को तार्किक करने पर बल दिया गया है।

इन्ही कारणों से सरकार ने, 2012 में जो CSS 147 थी संख्या में थे उसे घटाकर अब 27 कर दिया है। साथ ही CSS में फंडिंग का पैटर्न भी बदला गया है यह (a) core of the core (b) core व (c) optional स्कीमों के आधार पर निर्धारित होता है।

पिछले समय में आंध्र प्रदेश द्वारा विशेष श्रेणी राज्य के दर्जे को भी ठुकराते हुये विशेष पैकेज की घोषणा की गयी है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. It is contended that GST regime will significantly curb the financial autonomy of states by taking away substantial taxation powers. In this regard, examine the impact of the GST regime on federal structure of our polity. What are the proposed mechanisms in the bill which seek to address this issue?

यह दावे किए जाते हैं कि GST व्यवस्था, राज्यों की कराधान शक्तियों में पर्याप्त कटौती कर, राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता पर उल्लेखनीय रूप से अंकुश लगाएगी। इस संबंध में, हमारी राजव्यवस्था के संघीय संरचना पर GST व्यवस्था के प्रभाव का परीक्षण कीजिए। इस मुद्दे को हल करने के लिए विधेयक में प्रस्तावित प्रावधान क्या हैं?

GST अप्रत्यक्ष करों में सुधार के लिए प्रस्तावित किया गया था। इसमें राज्य व केन्द्र दोनों के अप्रत्यक्ष करों जैसे उत्पाद शुल्क, सेवा कर, केन्द्रीय बिक्री कर, राज्य बिक्री कर आदि को सम्मिलित करते हुये एक Unified Tax Structure बनाने पर बल दिया गया है। इससे —

(1) देश में एक एकीकृत बाजार (unified market) का विकास होगा।

(2) करों में होने वाले cascading effect पर भी नियंत्रण लगाया जा सकेगा।

(3) इससे कर व्यवस्था सरलीकृत होगी।

(4) इससे कर वंचना (Tax evasion) में भी कमी आएगी।

(5) इससे केन्द्र व राज्यों के बीच सहयोग बढ़ेगा जो संघवाद को मजबूत करेगा।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

लेकिन कुछ राज्यों द्वारा इसे राज्यों के स्वायत्तता के हनन के रूप में देखा जा रहा है जिसका संविधान में art 264 से art 293 तक जो वित्तीय संघवाद की बात की गयी है उसे चोटिल करने की बात की गयी है। क्योंकि –

1. अब राज्यों को अपने आधार बिक्री कर व अन्य अप्रत्यक्ष करों के निर्धारण का अधिकार समाप्त हो जाएगा।
2. इससे राज्यों की केन्द्र पर वित्तीय निर्भरता भी बढ़ेगी।

इन्ही मुद्दे को हल करने के लिए GST में निम्न प्रावधान किये गये हैं–

1. करों का निर्धारण GST Council के द्वारा किया जाएगा जिसमें केन्द्रीय वित्त मंत्री व राज्यों के प्रतिनिधि होंगे।
2. GST council में वोटिंग की शक्ति भी केन्द्र व राज्यों में वितरित की गयी है। केन्द्र को 1/3 वोटिंग शक्ति व सभी सम्मिलित राज्यों को 2/3 वोटिंग शक्ति मिलेगी।
3. सभी राज्यों की वोटिंग शक्ति समान होगी अर्थात सभी के 1-1 वोट होंगे।

परन्तु इस व्यवस्था की भी आलोचना हो रही है क्योंकि

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

① इसमें यह भी व्यवस्था है कि कोई भी प्रस्ताव 3/4 बहुमत से ही पास होगा अर्थात् सभी राज्य आपस में मिलकर भी प्रस्ताव पास नही करा पायेगें क्योंकि उनके पास केवल 2/3 वोट है अत: केन्द्र की सहमति के बिना इस GST council में कोई प्रस्ताव पास नही हो सकता। इसे राज्यों की स्वायत्तता के हनन के रूप में देखा जा रहा है।

② साथ ही सभी राज्यों को समान मत (vote) शक्ति दी गयी है अत: इसमें ऐसे राज्यों जो आर्थिक रूप से मजबूत रहे हैं उनकी निर्भरता छोटे राज्यों पर बढ़ेगी तथा वे अपने अनुसार निर्णय लेने में असमर्थ रहेगें।

कुल मिलाकर अभी भी व्यवस्था fool proof नही बन पायी है। अभी भी काफी खामियाँ व आशंकायें हैं जिन्हें समाधान करते हुये आगे बढ़ा जाना चाहिए।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. What is the rationale behind the changes in the budgetary process approved by the Union Cabinet recently? Do you think it is a step forward towards efficient governance and fiscal prudence?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बजटीय प्रक्रिया में स्वीकृत परिवर्तनों का मूलाधार क्या है? आपके विचार से क्या यह कुशल शासन एवं राजकोषीय दूरदर्शिता/बुद्धिमत्ता की दिशा में उठाया गया कदम है?

(1) बजट की प्रक्रिया को

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. Critically examine the provisions of the recently introduced Citizenship Amendment Bill 2016. Are some provisions of the bill against India's secular principles?

हाल ही में प्रस्तुत नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 के प्रावधानों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या इस विधेयक के कुछ प्रावधान भारत के पंथनिरपेक्ष सिद्धांतों के विरुद्ध हैं?

हाल ही में सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये नागरिकता संशोधन विधेयक के निम्न प्रावधान हैं –

① उन हिंदुओं, सिक्खों व बौद्धों को भारत की नागरिकता प्रदान करना जो आसपास के देशों से Prosecution के डर से भारत में लम्बे समय से शरणार्थी हैं।

② PIO व OCI कार्ड धारकों का merge कर देना। इससे PIO को भी OCI के समान सुविधा मिल पायेगी। अर्थात इन्हें भी life long visa मिल पायगा। साथ ही उन्हें भी पुलिस थानों में रजिस्ट्रेशन कराने से छूट मिल जायगी।

परन्तु इस विधेयक की आलोचना भी की जा रही है कि यह भारत के पंथनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है क्योंकि इसमें आस-पास के पड़ोसी देशों से आये मुस्लिमों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की बात नहीं की गयी है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. Whereas the legislature is empowered to regulate the ratification of international treaties in the United states, in India it is mostly the domain of the executive. Examine the rationale and benefits of these two approaches with examples.

संयुक्त राज्य अमेरिका में विधायिका को अंतरराष्ट्रीय संधियों के अनुसमर्थन को विनियमित करने का अधिकार प्राप्त है, जबकि भारत में यह मुख्यतः कार्यपालिका का अधिकार क्षेत्र है। उदाहरणों सहित इन दोनों दृष्टिकोणों के औचित्य और लाभों का परीक्षण कीजिए।

USA में अन्तर्राष्ट्रीय संधियों के अनुसमर्थन (Ratification) का अधिकार सीनेट (उच्च सदन) को दिया गया है। इस व्यवस्था के निम्न फायदे हैं –

1. अन्तर्राष्ट्रीय संधियों पर संसद (कांग्रेस) का नियंत्रण स्थापित होता है।
2. यह निर्धारित होता है कि मनमाने पूर्ण ढंग से कार्यपालिका कोई अन्तर्राष्ट्रीय संधि देश पर आरोपित न करे।

परन्तु इस व्यवस्था से कई महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय संधियों पर समर्थन नहीं मिल पाता। उदाहरणस्वरूप क्योटो प्रोटोकॉल को शुरु करने वालों में अमेरिका प्रमुख था। इनके उपराष्ट्रपति अल्गोर को इस कार्य के लिए नोबेल भी मिला। पर यह विडंबना ही थी क्योटो प्रोटोकॉल को न Ratify करने वाले देशों में अमेरिका ही एकमात्र देश था।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

भारत में अन्तर्राष्ट्रीय संधियों के अनुसमर्थन का अधिकार कार्यपालिका को है अर्थात केन्द्र सरकार ही अन्तर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर (Signature) व अनुसमर्थन (Ratification) कर सकती है इससे

(i) निर्णयों में तेजी आती है

(ii) बिना अनावश्यक राजनीतिक मामलों में उलझे अन्तर्राष्ट्रीय संधियों पर भारत की प्रतिबद्धता दिखाई जा सकती है।

इसी सन्दर्भ में हमारे संविधान में art 253 के तहत यह व्यवस्था है कि राज्य सूची के विषय पर भी अन्तर्राष्ट्रीय संधियों के तहत केन्द्र सरकार कानून बना सकती है।

पर इस व्यवस्था के दोष भी है जैसे इस प्रक्रिया के कारण संसद का अन्तर्राष्ट्रीय संधियों पर नियंत्रण नहीं रहता अर्थात् जनता का नियंत्रण नहीं रहता। साथ ही कई बार निर्णय अलग-अलग राज्यों के सन्दर्भ में सही भी नहीं हो सकते। उदाहरणस्वरूप भारत अगर कृषि में WTO के प्रावधानों को स्वीकार कर ले तो कृषि के राज्यसूची का विषय होने के बावजूद राज्यों की इस मुद्दे पर स्वायत्तता सीमित हो जाएगी।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

9. What are the reasons for the declining rate of child adoption in India? Discuss whether the amended Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 can address this issue.

भारत में बच्चों को गोद लेने की दर में गिरावट के कारण क्या हैं? चर्चा कीजिए कि क्या संशोधित किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 इस समस्या का समाधान प्रस्तुत कर सकता है?

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

10. The Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Bill passed recently aims at striking a balance between education and India's economic reality. Critically analyze.

हाल ही में पारित बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) संशोधन विधेयक का लक्ष्य शिक्षा और भारत की आर्थिक वास्तविकता के बीच संतुलन स्थापित करना है। आंलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

सरकार द्वारा हाल ही में बाल श्रम (निषेध एवं विनियम) संशोधन ~~अधिनियम~~ विधेयक पेश किया गया। यह बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 में संशोधन करेगा। इस विधेयक के प्रावधान निम्न हैं—

① बच्चों (0-14 वर्ष) को घरेलु उद्यमों में काम करने की छूट दी गयी है। ताकि ये पढ़ाई के साथ-साथ महत्वपूर्ण skill भी सीख सके।

② बच्चों (0-14) वर्ष) को मनोरंजन उद्योगों में काम करने की छूट दी गयी है। हलांकि इनके सर्कस में काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

③ 14-18 वर्ष के बच्चों को ~~hazard~~ किसी भी hazardous work में नही लगाया जा सकता।

④ Hazardous Industries के तहत आने वाले उद्योगों की संख्या भी कम कर दी गई है, अब केवल तीन ही ऐसे उद्योग हैं—

ⓐ खनन से जुड़े उद्योग

ⓑ विस्फोटक . .

(c) फैक्ट्री एक्ट के तहत आने वाले उद्योग

Call us : 9650617807, 9968029039
Blog : www.visionias.wordpress.com

Visit us : www.visionias.in
Email : ajay.visionias@gmail.com

समस्या

① इस विधेयक में घरेलू उद्यमों में बालश्रम की अनुमति दी गयी है। पर ज्यादातर विश्लेषक इसे गलत मानते हैं तथा इसे RTE (Right to education) Act के विरुद्ध मानते हैं। क्योंकि एक बच्चा अगर स्कूल से आने के बाद घर का काम करेगा तो उसपर बोझ बढ़ेगा, उसकी क्षमता घटेगी, तथा स्कूल से drop out का खतरा भी बना रहेगा।

② इसमें hazardous industry की संख्या को भी कम कर दिया गया है।

आज भी भारत में 33 मिलियन बाल श्रमिक है। संविधान (art 24 के तहत सुरक्षा) व कानून में सुरक्षा मिलने के बाद भी इतनी बड़ी संख्या में बाल श्रमिकों का होना हमारी व्यवस्था के असफलता को दिखाता है। कहा जाता है कि - 'बच्चे किसी भी देश के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं" आज के बच्चों पर ही कल का ही भविष्य निर्भर करता है। अत: बाल श्रम के द्वारा न केवल हम एक बच्चे की जिन्दगी से समझौता करते हैं वरन् एक

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

महत्वपूर्ण संसाधन भी खो देते हैं। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू का कहना था- " Children are like buds in garden and they should be accordingly nurtured. They are the future of country and citizen of tomorrow."

अतः जरूरत है कि बाल श्रम कानूनों में पर्याप्त संशोधन हो ताकि बाल श्रम की समस्या पूर्ण रूप में समाप्त हो जाये।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

11. Though the Maharashtra Protection of People from Social Boycott (Prevention, Prohibition and Redressal) Act of 2016 is an important step in the long-standing struggle against social exclusion, it is only the first step. Comment. Also discuss the challenges in implementation of the act.

यद्यपि महाराष्ट्र सरकार द्वारा पारित "सामाजिक बहिष्कार से लोगों का संरक्षण (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2016" सामाजिक बहिष्कार के विरुद्ध लंबे समय से चल रहे संघर्ष की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, किन्तु यह केवल पहला कदम ही है। टिप्पणी कीजिए। इस अधिनियम के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों की भी चर्चा कीजिए।

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

12. Though the Criminal Tribes Act, 1871 was annulled soon after independence, the communities designated as Denotified Tribes (DNT) and Nomadic Tribes (NT) remain amongst the most discriminated and disadvantaged groups in the country. Comment. Also discuss the steps taken by the government to improve their condition.

यद्यपि आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871 को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शीघ्र ही रद्द कर दिया गया था, किन्तु फिर भी डिनोटिफाइड (विमुक्त) जनजातियों (DNT) और खानाबदोश जनजातियों (NT) के रूप में निर्दिष्ट समुदाय देश में भेदभाव से सर्वाधिक पीड़ित और वंचित समूहों में से हैं। टिप्पणी कीजिए। साथ ही, उनकी दशा में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की चर्चा कीजिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

13. The idea of a Pay Commission is to revise the pay scales of the government staff. In light of the recommendations of the 7th Pay Commission examine the need for the introduction of performance linked pay for government employees as in the case of private sector. Also comment on the need for the introduction of pay parity among various services.

वेतन आयोग का विचार सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों को संशोधित करने के लिए है। सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आलोक में सरकारी कर्मचारियों के लिए निजी क्षेत्र की भाँति कार्य प्रदर्शन पर आधारित वेतन आरम्भ करने की आवश्यकता का परीक्षण कीजिए। साथ ही, विभिन्न सेवाओं के बीच वेतन समानता को लागू करने की आवश्यकता पर टिप्पणी कीजिए।

(1) सातवें वेतन आयोग ने Performance based Pay पर बल दिया है अर्थात् सरकारी कर्मचारियों को उनके कार्य प्रदर्शन के अनुपात में Payment मिले। अभी हमारी सरकारी व्यवस्था अक्षमता की शिकार है चाहे कार्यप्रदर्शन कैसा भी हो, वेतन की निश्चितता बनी रहती है जिससे efficiency पर नाकारात्मक असर पड़ता है।

(2) साथ ही वेतन आयोग ने यह भी कहा है कि प्रदर्शन न कर पाने वाले कर्मियों के 3% के Annual increment को भी रोका जाये। इससे उन पर बेहतर काम करने का दबाव बढ़ेगा।

(3) विभिन्न सेवाओं के बीच वेतन समानता पर बल दिया गया है —

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(a) अभी IAS को अन्य AIS व केंद्रीय सेवाओं की तुलना में ज्यादा प्रोमोशन मिलते हैं। वेतन आयोग ने इसे समान करने की बात कही है। वेतन आयोग ने कहा है कि या तो सभी सेवाओं का प्रोमोशन व वेतन समान किया जाये या IAS की अलग परीक्षा कराई जाये।

(b) वेतन आयोग ने कहा है कि IPS व IFoS (भारतीय वन सेवा) के कार्मिकों को भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है अतः इन्हें भी IAS के समान ही सुविधा मिलनी चाहिए।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

14. Even though India and Russia have enjoyed a close relationship over the years, it has not been immune to the changing power dynamics globally. Comment.

यद्यपि भारत और रूस के बीच वर्षों से घनिष्ठ संबंध रहा है, किन्तु यह संबंध वैश्विक रूप से बदलती शक्ति गतिकी के प्रभावों से प्रतिरक्षित नहीं रहा है। टिप्पणी कीजिए।

भारत व रूस प्रारम्भ से ही घनिष्ठ मित्र रहे हैं। 1950 के बाद से ही यह संबंध लगातार मजबूत होते गये –

① 1954 में भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू जी ने सोवियत रूस की प्रथम यात्रा की तो बदले में वहां के राष्ट्रपति निकिता ख्रुश्चेव भी भारत आये।

② सोवियत ने चीन के ऊपर भारत को वरीयता देकर भारत को मिग-21 विमान दिये, भारत को चीन से अधिक सहायता मिली

③ 1971 के भारत पाक युद्ध के समय भी सोवियत रूस ने भारत को समर्थन दिया (इससे पूर्व भारत व रूस के बीच Indo-USSR Peace & friendship Treaty-1971 पर हस्ताक्षर हो चुका था)

④ इससे पूर्व 1961 में पुर्तगाल के मुद्दे पर (गोवा के अधिग्रहण पर) भी USSR ने सुरक्षा परीषद (UNSC) में वीटो किया।

इसके अलावा अनेक मुद्दों पर रूस व भारत ने आपसी सहयोग के द्वारा रिश्ते मजबूत किये।
परन्तु ये रिश्ते बाद के समय में स्थायी नहीं रहे –

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

① शीत युद्ध के बाद – शीत युद्ध के बाद USSR के विघटन व unipolar world के उदय के बाद भारत ने भी अपने रिश्ते पश्चिमी देशों से मजबूत करने शुरू किये। व अपनी विदेश नीति को विविधिकृत करना शुरू किया।

② LPG के परिप्रेक्ष्य में – 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद भारत को IMF, WB जैसे संस्थाओं से सहयोग लेना पड़ा बदले में भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को ज्यादा खोलना पड़ा। इससे पश्चिमी देशों के साथ भारत के संबंध बढ़ने लगे।

इसी समय रूस से रिश्ते भी ठण्डे पड़ने लगे। परन्तु इन रिश्तों में एक बार फिर गरमाहट व्लादीमीर पुतिन के काल में आया 2000 के दशक में। दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध पुनः बढ़ने लगे, ब्रह्मोस का विकास हुआ, INS गोशकोर्व को भारत द्वारा खरीदा गया। इसी तरह अन्य सहयोग भी।

परन्तु वर्तमान समय में ये रिश्ते कई जटिलताओं से ग्रस्त है –

① अब रूस व चीन ज्यादा पास आने लगे है तथा भारत को अमेरिका के सहयोगी के रूप में देखा जाने लगा है। इसी क्रम में रूस ने पाकिस्तान

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

के साथ सैन्य अभ्यास भी किया।

② पुन: विश्व में शीत युद्ध की संभावना बन रही है जिसमें एक खेमे का नेतृत्व रूस, चीन व पाकिस्तान आदि के द्वारा हो रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिका समर्थित खेमे में सहयोगी के रूप में भारत को देखा जा रहा है।

जरूरत है कि दोनो देश अपने बीच के Trust deficit को कम करे व रिश्तों को और प्रगाढ़ बनाये।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

15. The Indus Water Treaty has survived multiple wars and is often cited as a successful example of transboundary sharing of river waters. In this context, identify the key provisions of the treaty and examine the options that India can exercise to pursue its strategic interests vis-a-vis Pakistan.

सिंधु जल संधि कई युद्धों के बाद भी अक्षुण्ण रही है एवं इसे प्राय: नदी जल की सीमापार साझेदारी के सफल उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जाता है। इस संदर्भ में, संधि के प्रमुख प्रावधानों की पहचान कीजिए एवं उन विकल्पों का परीक्षण कीजिए जिन्हें भारत द्वारा पाकिस्तान के विषय में अपने रणनीतिक हितसाधन के लिए व्यवहार में लाया जा सकता है।

स्वतंत्रता के बाद भारत व पाकिस्तान के बीच विवादों का एक प्रमुख कारण सिंधु ~~व~~ उसकी सहायक नदियों के जल के बंटवारे को लेकर विवाद था। इस सन्दर्भ में विश्व बैंक के मध्यस्थता से सिंधु जल संधि - 1960 पर दोनो देशों ने हस्ताक्षर किये। इसमें प्रावधान था कि -

1. सिंधु की ऊपर की तीन सहायक नदियों (सिंधु, झेलम व चिनाब) के जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा।
2. नीचे की तीन नदियों (रावी, व्यास व सतलज) के जल का उपयोग भारत करेगा।

इस तरह इस सीमापार नदी तंत्र के जल बटवारें को एक सार्थक उदाहरण के रूप में देखा गया। इसके बाद भी दोनो देशों के बीच 1965, 1971 व 1999 मे तीन युद्ध हुये परन्तु कभी भी इस संधि के उल्लंघन की बात नही की गयी।

~~परन्तु~~ पिछले कुछ समय में भारत व पाकिस्तान

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

के बिगड़ते रिश्तों (पाठनकोट हमला, उरी हमला आदि) के बाद इस संधि के Review करने पर बल दिया जा रहा है। भारत का मानना है कि कि इस संधि के कारण – ① सिंधु नदी तंत्र के कुल जल का मात्र 20% ही भारत उपयोग कर पाता है

② इससे J&K, पंजाब, हरियाणा आदि प्रदेशों में कई बार सूखे की समस्या भी उभरती है

③ बदलते मौसम की संभावनाओं के अनुरूप भी इस समझौते का पुनरावलोकन किया जाना चाहिए।

भारत के सामने इस सन्दर्भ दो विकल्प हैं —

① भारत इन नदियों के जल को रोककर उनका उपयोग करना शुरू कर दे। पर यह इस समझौते का उल्लंघन होगा। साथ ही किशनगंगा नदी पर जल विद्युत परियोजना के सन्दर्भ में भी पाकिस्तान ने यह मुद्दा उठाया था।

साथ ही जल के रोकने से –

(a) इतने पानी को भारत में रोकना संभव नहीं है, इससे J&K के कई क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या आ सकती है।

(b) अभी चीन जो इस समझौते से बाहर है, वह भी एक तीसरे पक्ष के रूप में उभर सकता है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(c) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की बदनामी होगी कि उसने एक अन्तर्राष्ट्रीय समझौते का उल्लंघन किया।

② भारत इस समझौते को पुनः challenge कर सकता है। यह एक अच्छा विकल्प है। क्योंकि कोई भी system कभी भी fool proof नहीं होता उसमें सुधार की संभावना बनी रहती है। अतः अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर पुनः इन समझौते से संबंधित समस्या को उठाकर संधि को व्यवहारिक बना सकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

16. The Iranian nuclear agreement presents an opportunity for moving towards a new security order in the Persian Gulf. Elaborate in the context of changing scenario in the region. What are the likely implications for India in this context?

ईरानी परमाणु समझौता, फारस की खाड़ी में एक नई सुरक्षा व्यवस्था की ओर बढ़ने का अवसर प्रस्तुत करता है। इस क्षेत्र के बदलते परिदृश्य के संदर्भ में इसे विस्तार से बताइए। इस संदर्भ में भारत के लिए संभावित निहितार्थ क्या हैं?

ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर लम्बे समय तक गतिरोध बना रहा। ईरान के Nuclear enrichment को लेकर वैश्विक देशों खासकर अमेरिका व यूरोपीय देशों में यह आशंका था कि शीघ्र ही ईरान परमाणु बम बनाने में सफल हो जाएगा जो इन देशों के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है।

अतः ईरान पर पर्याप्त Sanction (प्रतिबंध) लगाये गये। अंत में P5+1 (अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस व जर्मनी) देशों व ईरान के बीच समझौता हुआ जिसमें यह निर्धारित हुआ है कि ईरान अपने Nuclear enrichment के कार्यक्रम को रोक देगा बदले में उसपर लगे प्रतिबंध हटा लिये जायेंगे।

इन समझौते के कारण एक अन्य देश के परमाणु शक्ति संपन्न होने का खतरा टल गया है। खासकर ऐसे समय में जब पूरे पश्चिमी एशिया में अशांति व अस्थिरता

VISION IAS™
Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

का वातावरण है अतः यह संभावना थी कि इससे पश्चिमी देशों में भय व अनिश्चितता बढ़ती व हथियारों (खासकर नाभिकीय हथियारों) की दौड़ शुरू हो जाती। इससे इन संभावनाओं पर विराम लग गया है।

यह समझौता भारत के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि – ① ईरान से प्रतिबंध हटने से अब भारत मुक्त रूप से ईरान से व्यापार कर सकेगा।

② इससे पश्चिमी एशिया में शांति को बढ़ावा मिलेगा जो भारत के हितों के अनुरूप है।

हालांकि इससे भारत को कुछ समस्या भी हुई है। उदाहरणतः भारत जो पहले तेल के लिए रुपये में Pay कर रहा था उसे अब डॉलर में Payment करनी होगी। साथ ही अन्य देश जैसे चीन आदि भी ईरान से बेहतर संबंध बनाने लग गये हैं अतः भारत के महत्व में थोड़ी कमी आ सकती है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

17. Considering the diversity among Pacific Island Countries (PICs), India has a huge scope for building multi-sectoral cooperation tailored to the specific conditions in these islands. Discuss. Also examine the strategic importance of PICs for India.

प्रशांत महासागरीय द्वीपीय देशों (PICs) की विविधता को देखते हुए, इन द्वीपों की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप बहु-क्षेत्रीय सहयोग का निर्माण करने हेतु भारत के पास अपार संभावनाएं हैं। चर्चा कीजिए। साथ ही, भारत के लिए PICs के रणनीतिक महत्व का भी परीक्षण कीजिए।

पिछले कुछ समय से प्रशांत महासागरीय देशों का महत्व भारतीय विदेश नीति में तेजी से बढ़ा है क्योंकि

(1) ये देश बड़ी संख्या में होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का एक बड़ा समर्थन कर सकते हैं जैसे सुरक्षा परिषद में सदस्यता के मुद्दे को लेकर।

(2) भारत के Act East Policy को सफल बनाने में इनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण है।

(3) इनमें से कई देशों में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग हैं। जैसे फिजी। अतः इन लोगों को पुनः भारत से जोड़ा जा सकता है।

इसी को देखते हुये हमारे प्रधानमंत्री ने 2014 में ही प्रशांत महासागरीय देशों की यात्रा की थी —

(1) FIPIC (forum for India - Pacific Iland corporation)
की स्थापना की गयी है ताकि भारत व इन देशों के बीच संबंध मजबूत हो।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(2) भारत ने इन देशों को connect करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा सहयोग पर भी इच्छा जताती है

(3) भारत ने यहाँ नवीकरणीय ऊर्जा व अवसंरचना के विकास के लिए 1 बिलियन डॉलर का Line of Credit भी दिया है

(4) भारत ने स्पेस (space) के क्षेत्र में भी इन देशों को सहयोग करने की बात कही है

भारत के साथ इन देशों के बढ़ते संबंधों का इतना वैश्विक प्रभाव पड़ा कि अगले ही दिन चीनी राष्ट्रपति भी इन देशों की यात्रा पर पहुँचे यह इन देशों के बढ़ते महत्व को दिखाता है

अतः भारत को इन देशों के साथ सहयोग और बढ़ाने की जरूरत है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

18. Though BRICS is neither an economic union nor a political coalition, it creates space for India to move the contemporary international order towards alternative models of development and governance. Comment.

यद्यपि ब्रिक्स (BRICS) न तो एक आर्थिक संघ है और न ही राजनैतिक गठबंधन, तथापि यह समकालीन अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को विकास और शासन के वैकल्पिक मॉडल की ओर अग्रसर करने हेतु भारत के लिए अवसर सृजित करता है। टिप्पणी कीजिए।

ब्रिक्स की स्थापना प्रमुख उभरते विकासशील देशों (चीन, भारत, ब्राजील आदि) ने अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने व वर्तमान व्यवस्था का ~~व्यवस्थिक~~ पारस्परिक लाभ उठाने के लिए की थी।

समय के साथ ब्रिक्स का कद तेजी से बढ़ा है। ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग बढ़ रहे हैं परन्तु उससे भी अधिक ब्रिक्स को अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के विकास के एक वैकल्पिक मॉडल के रूप में देखा जा रहा है—

① New Development Bank — NDB के गठन के साथ ही यह चर्चा होने लगी है कि यह WB (विश्व बैंक) व IMF जैसी संस्थाओं के विकल्प के रूप में होगा।

अतः WB व IMF जैसी संस्थायें जिनपर अभी पश्चिमी देशों का प्रभुत्व है तथा विकासशील देशों के हितों का उतना ध्यान नहीं रखा जाता। अतः NDB विकासशील देशों को ऋण की सुविधा प्रदान कर उनके विकास में सहायता करेगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(2) BRICS रेटिंग एजेंसी की स्थापना की बात चल रही है। अभी रेटिंग एजेंसियों जैसे मूडीज, फिच, स्टैंडर्ड एण्ड पुअर' आदि की भूमिका को लेकर सवाल उठते रहे हैं। इनमें भी पश्चिमी देशों / विकसित देशों का प्रभुत्व है। अतः इनपर आरोप लगता है कि ये जानबूझकर विकासशील देशों की कम या नाकारात्मक रेटिंग करते हैं।

(3) एक Arbitration Centre की स्थापना का भी लक्ष्य है। अतः अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में मध्यस्थता के लगभग सभी केन्द्र पश्चिमी देशों में हैं अतः यह माना जाता है कि विकासशील देशों के मुद्दे पर यहाँ पर्याप्त ध्यान नही दिया जाता तथा विपक्ष में ज्यादा निर्णय दिये जाते हैं। इन मध्यस्थता केन्द्रों में विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व कम है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Call us : 9650617807, 9968029039
Blog : www.visionias.wordpress.com
Visit us : www.visionias.in
Email : ajay.visionias@gmail.com

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

19. Since the end of Cold War, the focus and role of NAM have changed significantly. Discuss. Also analyse its relevance for India in the emerging geo-political order.

शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से, गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) के फोकस एवं इसकी भूमिका में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। चर्चा कीजिए। साथ ही, उभरती भू-राजनीतिक व्यवस्था में भारत के लिए इसकी प्रासंगिकता का भी विश्लेषण कीजिए।

1950 के दशक में उभरते लोकतंत्रों के स्वायत्तता, संप्रभुता व विकास को सुनिश्चित करने के लिए NAM आंदोलन का उदय हुआ। 1955 में जिस बांडुंग सम्मेलन से इसकी अनौपचारिक शुरुआत हुई उसके आदर्शों को बाद के समय में बनाये रखा गया। परन्तु इसकी भूमिका पर शीत युद्ध खत्म होने के बाद कई कारणों से प्रश्नचिन्ह लगे —

1. आंदोलन अपनी तटस्थता बनाये रखने में असफल रहा खासकर 1980 के दशक में बड़े पैमाने पर इन देशों में ऋण संकट (debt crisis) की समस्या उभरी। अतः इन्हें IMF व WB जैसे संस्थाओं से सहयोग लेना पड़ा जिनपर पश्चिम का प्रभाव था।
2. शीत युद्ध के बाद unipolar world के उदय के कारण ज्यादातर देश अपनी नीतियों में तटस्थता न बनाये रख सके।
3. गुट निरपेक्ष आंदोलन कोई संस्थागत स्वरूप नहीं ले पाया इस आंदोलन का न कोई केन्द्र है और न ही कोई सचिवालय है।
4. ज्यादातर आपसी विवाद के मुद्दों पर ही यह चर्चा में उलझकर रह जाता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

परन्तु NAM की भूमिका को पूर्णतः नकारा नहीं जा सकता। पूर्व में भी यह सदस्य देशों को शीतयुद्ध से बचाने में सफल रहा और उनमें विकास को सुनिश्चित करा पाया। आज भी यह मंच काफी महत्वपूर्ण है, चूंकि इसमें तीसरी दुनिया के देश (विकासशील देश) ही मुख्य हैं अतः इस मंच का उपयोग विकासशील देशों के बीच परस्पर सहमति बनाने के लिए (अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर) हो सकता है।

भारत के सन्दर्भ में इस मंच के निम्न महत्व हैं-

(1) भारत अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ जनमत बनाने में इस मंच का उपयोग कर सकता है खासकर जब भारत Comprehensive Convention on International Terrorism (CCIT) पर विश्व के देशों को आपस में सहयोग कर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने को प्रोत्साहित कर रहा है।

(2) भारत जलवायु परिवर्तन से लड़ने के मुद्दे पर सहयोग प्राप्त कर सकता है। चूंकि इसमें ज्यादातर विकासशील देश हैं जिनके पास इस परिवर्तन से लड़ने व Adaptation के लिए न तो पर्याप्त पूंजी है और न ही तकनीक। अतः इस मंच के द्वारा विकसित देशों पर दबाव बनाया जा सकता है।

(3) भारत अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं में विकसित देशों के प्रभुत्व को कम करने व विकासशील देशों की भूमिका

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

उठाने पर भी जनमत बना सकता है। खासकर UNSC, IMF, WB आदि में सुधार के सम्बन्ध में।

(4) आज जब पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था एकीकृत हो रही है, अर्थव्यवस्था में खुलापन आ रहा है अतः जरूरी है विश्व व्यापार के मुद्दों पर विकासशील देशों के हितों का ध्यान रखा जाये। अतः WTO के मंचों पर विकसित देशों पर विकासशील देशों की उपेक्षा न करने का दबाव बनाया जा सकता है।

(5) इसके अलावा वर्तमान में व्याप्त पश्चिम एशिया में हिंसा को समाप्त करने में भी NAM अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

(6) वर्तमान में कुछ विशेषज्ञों द्वारा शीत युद्ध के पुनर्जीवित होने के भी आसार लगाये जा रहे हैं अतः ऐसी स्थिति में NAM की भूमिका छोटे व अल्पविकसित देशों को सुरक्षित करने में पुनः महत्वपूर्ण हो जाती है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

20. Despite a consensus that a collective global effort is needed to alleviate the ongoing refugee crisis, efforts made so far have hardly yielded the desired results. Do you agree? Briefly highlight the socio-political impact of this crisis on destination countries. Also highlight the role that India can play in this situation.

वर्तमान शरणार्थी संकट को कम करने के लिए सामूहिक वैश्विक प्रयास की आवश्यकता के विषय पर आम सहमति के बाद भी, अब तक किए गए प्रयासों से वांछित परिणाम शायद ही मिले हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? गंतव्य देशों पर इस संकट के सामाजिक-राजनीतिक प्रभाव को संक्षेप में रेखांकित कीजिए। इस परिस्थिति में भारत द्वारा निभायी जा सकने वाली भूमिका को भी उजागर कीजिए।

वर्तमान में शरणार्थी संकट विश्व के सबसे ज्वलंत समस्याओं में से एक है। इस संकट ने पूरे पश्चिमी एशिया व यूरोप को अपने चपेट में ले लिया। इसके अलावा भी म्यानमार से 'Boat People' की समस्या व अफ्रीकी देशों में अस्थिरता व हिंसा ने इसे और तीव्र किया है। इसी मुद्दे पर ब्रिटेन ने EU से बाहर निकलने का फैसला कर लिया। अतः यह मुद्दा काफी विकराल हो चुका है। इसे रोकने के लिए कुछ प्रयास भी किये गये -

① एक अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेशन भी है - UN Refugee Convention 1951 जिसमें शरणार्थियों को कुछ Right दिये हैं -

(a) Non Refoulment - इन्हें वापस नहीं भेजा जा सकता।

(b) Non discrimination - इनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा।

(c) Non Penalization - इन्हें दण्डित नहीं किया जा सकता।

② इसके अलावा जेनेवा प्रोटोकॉल 1966 भी इन्हें सुरक्षा प्रदान करता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

③ विभिन्न देशों ने अपने-अपने स्तर से व आपसी सहयोग से शरणार्थियों को भी शरण व सहयोग दिया है। जैसे EU में समझौते के अनुसार जर्मनी प्रतिवर्ष लगभग 8 लाख शरणार्थियों को जगह देगा वही UK (जो EU से बाहर निकल चुका है) व फ्रांस लगभग 6,50,000 शरणार्थियों को शरण देंगे।

हालांकि इन प्रयासों से समस्या का समाधान बहुत ही कम हुआ है। हंगरी जैसे देशों ने तो अपने यहाँ दीवार खड़े शुरू कर दिये हैं। ब्रिटेन ने तो EU से ही बाहर निकलने का फैसला कर लिया। क्योंकि गंतव्य देशों में इनके कई नकारात्मक सामाजिक-राजनीतिक प्रभाव पड़ते है —

① गंतव्य देश के संसाधनों पर दबाव बढ़ता है।
② इससे वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए संसाधन घटते हैं अतः उनका विकास भी बाधित होता है साथ ही यह स्थानीय-शरणार्थी विवाद के लिए भी उर्वर भूमि प्रदान करता है।
③ कई बार गंतव्य देश का social fabric भी बाधित होता है तथा इससे ethnic विवाद के मुद्दे बढ़ते हैं।
④ शरणार्थियों के आने से देश की आंतरिक सुरक्षा को भी खतरा बना रहता है।
⑤ शरणार्थियों के ज्यादा आगमन से गंतव्य देशों के वोटिंग व्यवस्था में भी परिवर्तन का डर बना रहता है। जैसे भारत में असम के क्षेत्र में बांग्लादेशी शरणार्थियों के कारण हुआ है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

भारत ने हमेशा से 'अतिथि देवो भव:' की परंपरा अपनाई है और इसी आधार पर दलाई लामा, तस्लीमा नसरीन, 1971 के समय में आये लगभग 1 करोड़ बांग्लादेशी शरणार्थियों को शरण दी थी।

वर्तमान के इस व्याप्त संकट को दूर करने के लिए भारत निम्न प्रयास कर सकता है –

(1) अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर सहमति बनाने का प्रयास ताकि इस संकट का समाधान हो। खासकर शरणार्थियों के मूल देश में शांति स्थापित करने में मदद करना।

(2) इसके साथ ही इन देशों में अनावश्यक हस्तक्षेपों पर वैश्विक जनमत संग्रह को जागरूक कर सकता है (रूस – सीरिया गृह युद्ध के समाप्त न होने का बड़ा कारण अमेरिका व रूस का हस्तक्षेप है)

(3) ऐसे देशों के साथ खड़े होना जो इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं जैसे जर्मनी के साथ खड़ा होना। यूरोप में शरणार्थियों के सहयोग के मुद्दे पर जर्मनी अलग-थलग पड़ रहा है। अतः भारत जर्मनी का समर्थन कर उसका हाथ मजबूत कर सकता है।